

पत्रांक संख्या- ०३/२०२१

टेंडर सूचना/नजारत/जनपद न्यायालय चन्दौली। दिनांक: ०८-१-२०२१

टेंडर

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश चन्दौली के आदेश दिनांक ०८.०१.२०२१ के अनुपालन में बन्द लिफाका के माध्यम से दिनांक २८.०१.२०२१ को कायलिय अवधि तक टेंडर आमंत्रित किया जाता है। टेंडर दिनांक ३०.०१.२०२१ को साथ ४.३० बजे अधोहस्ताक्षरित के कायलिय कक्ष में उपस्थित अथराइज्ड फर्म/प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित क्रय समिति के द्वारा खोला जायेगा। कायलिय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में टेंडर उसी क्रम में एवं समयानुसार अगले कार्य दिवस में खोला जायेगा। टेंडर कुल धनराशि रु. १,८९,३४०/- के लिए आमंत्रित किये जाते हैं।

कानूनी सामग्री की सूची।

क्र.स. स्टेशनरी का विवरण

प्रति पीस का दर जी.एस.टी. सहित

१. बड़ी तौलीया (Jockey)

२. छोटी तौलीया (Jockey)

३. कप प्लेट सेट

४. कांच गिलास

५. कूल जग

६. इलेक्ट्रिक केतली

७. फिनायल

८. हारपिक

९. हैण्डबाश (डीटाल)

१०. फूल झाँड़ू

११. सीक झाँड़ू

१२. डस्टबिन

१३. वाईपर

१४. मापिंग क्लाथ

१५. काला हिट (बड़ा)

१६. पायदान

नियम व शर्तेः-

- टेंडर की कुल धनराशि का 10% धरोहर धनराशि के रूप में नकद केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा करना पड़ेगा। फर्म/प्रतिनिधि का टेंडर पास न होने की दशा में धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी।
- किसी भी फर्म/प्रतिनिधि का टेंडर पास होने के उपरांत सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने पर किसी भी कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- उपरोक्त सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप होना आवश्यक है।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के टेंडर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं किया जा सकता।
- टेंडर में उल्लिखित सामग्रियों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
- टेंडर जमा करते समय उपरोक्त सभी सामग्री का सेम्पल लाना अनिवार्य होगा।

(अमित कुमार यादव-१) (योगेश दुबे) (अरविन्द कुमार यादव) (अम्बर रायता)
८.१.२०२१ ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ ०८.१.२०२१

ए.डी.जे./एफ.टी.सी.-। अपर जनपद न्यायाधीश-॥ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.)
चन्दौली/सदस्य चन्दौली/सदस्य चन्दौली/सदस्य चन्दौली/अध्यक्ष
क्रय समिति। क्रय समिति। क्रय समिति। क्रय समिति।